

न्यायालय उप जिलाधिकारी रादर, जनपद- प्रतापगढ़।

बाद १०-२१०/१३

अन्तांत धारा-१४३ ज०वि०अधि०

गुरु रिष्ट प्राम-राम-गुरु,

प० ५ त० ८० रादर, जिला प्रतापगढ़।

मनोज कुमार रिंड आदि

प्राम

रादर

निर्णय

प्रतुत प्रार्थना पत्र मनोज कुमार सिंह रुत रागर चहारुर रिह व बंदना सिंह पर शिवशंकर सिंह व दीति सिंह पत्नी मनोज कुमार रिह निवासीगण याम भदरी हाउस प००८० सदर प्रतापगढ़ द्वारा अन्तांत धारा-१४३ ज०वि०अधि० के अन्तांत प्रतुत किया गया है कि याम सोनावां प००८० सदर, प्रतापगढ़ की गाटा संख्या-५२७ रक्या ०.३०४ह० व गाटा सं०-५२८ रक्या ०.५३२ह० में खेती नहीं की जा रही है तथा भौंके पर चहारदीवारी घना है एवं निर्माण कार्य चालू है। अतएव इसे अकृषिक प्रोपित किया जाये।

प्रकरण की जांच तहरीलदार सदर से करायी गयी जिन्होंने अपनी आख्या दिनांक ०१.०६.२०१३, में इंगित किया है कि याम सोनावां की गाटा गाटा संख्या-५२७ रक्या ०.३०४ह० व गाटा सं०-५२८ रक्या ०.५३२ह० धोत्रफल पर कृषि कार्य नहीं होता है तथा भौंके पर चहारदीवारी घना है एवं निर्माण कार्य चालू है। आवेदकाण्डा द्वारा यह भूमि देनाम से प्राप्त की गयी है। देनाम की उपाधिते संतान पदावली है राख ने जिम्मा-१३५ वीर रिपोर्ट भी संतान है। आवेदकाण्डा/सेखपाल द्वारा विवादित रस्त घना फोटोग्राफ़ संतान किया गया है।

पत्रावली का भली-भाँति अवलोकन किया गया जिससे ख्यात हुआ कि याम सोनावां प००८० सदर प्रतापगढ़ की खाता खत्तीनी संख्या-१२४ फरालो वर्ष १४१९-१४२४ के गाटा संख्या-५२७ रक्या ०.३०४ह० व गाटा सं०-५२८ रक्या ०.५३२ह० धोत्रफल पर वादीगण का नाम वहीर सहस्रकम्बलीय भूमिधर दर्ज है। लेखपाल द्वारा प्रतुत नजरी नवशानुसार गाटा संख्या-५२७ रक्या ०.३०४ह० व गाटा सं०-५२८ रक्या ०.५३२ह० क्षेत्रफल में कृषि कार्य नहीं होता है तथा भौंके पर चहारदीवारी घना है एवं निर्माण कार्य चालू है। इस प्रकार गाटा संख्या-५२७ रक्या ०.३०४ह० व गाटा सं०-५२८ रक्या ०.५३२ह० धोत्रफल कृषि से न्यून प्रयोजन में प्रयुक्त हो रहा है जिराको अकृषिक प्रोपित करने में आई विधिक अड्डन नहीं है।

आदेश

अतः याम सोनावां प००८० सदर प्रतापगढ़ की गाटा संख्या-५२७ रक्या ०.३०४ह० व गाटा सं०-५२८ रक्या ०.५३२ह० धोत्रफल वादीगण का याद रखीकार नहरते हुए भालगुरुन व परता से मुक्त करते हुए अकृषिक प्रोपित किया जाता है। तहरीलदार सदर की आख्या दिनांक ०१.०६.२०१३ व लेखपाल घना नजरी नवशा आदेश घना अग होगा। तदनुसार परदाना जारी हो। आदेश की उपाधिते उप निवांधि सदर को भेजी जाय। याद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर हो।

उप जिलाधिकारी
रादर प्रतापगढ़।

प्रधानका ७६

प्रधानका ६/६/२०१३

प्रधानका ६/६/२०१३

प्रधानका ६/६/२०१३

प्रधानका ६/६/२०१३

०६/६/२०१३

मनोज कुल सिंह स्मारक महाविद्या
गणेशलूपा १०/६/१४
(प्रबन्धक)